रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एम० एम०/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 26 जुलाई, 1995/4 श्रावण, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 24 जून, 1995

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)-67/94.—यह कि श्री प्यार चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत बनूरी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा को उपायुक्त, कांगड़ा द्वारा उनके कार्यालय आदेश संख्या पी० सी० एच०-के० बी० आर० ई० (12) 57/94/860-66, दिनांक 28-3-1995 के द्वारा सभा निधि के दुरुपयोग जैसे आरोपों के लिए प्रधान पद से निलम्बित किया गया है ।

और यह कि उपायुक्त; कांगड़ा से प्राप्त रिपोर्ट तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए निलम्बन आदेश की पुष्टि करना जनहित में उचित समझा गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (3) के अन्तर्गत निहित हैं, उपायुक्त, कांगड़ा के आदेश संख्या पी० सी०

2111-राजपत्र/95-26-7-95—1,221. (3131) मूल्य : 1 रुपया ।

एच0-के0 जी0 आर0 ई0 (12) 57/94/860-66, दिनांक 28-3-1995 जिसके अन्तर्गत श्री प्यार चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत बनूरी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदश को निलम्बित किया है, की पुष्टि करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-2, 1 जुलाई, 1995

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 83/94.—यह कि श्री हरि राम प्रधान, ग्राम पंचायत बारियां, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन को उपायुक्त द्वारा आदेश संख्या 4-116-(पंच)/66-1865-68, दिनांक 15-11-1994 के अन्तर्गत दिनांक 30-6-1994 को मु0 39,000/- रुपये (मु0 उन्तालीस हजार रुपये) की राशि जे0 सी0 सी0 बैंक, नालागढ़ से बिना विकास खण्ड अधिकारी की स्वीकृति से निकालने तथा खण्ड विकास अधिकारी, नालागढ़ के बार-बार आग्रह करने पर भी उन्होंने यह राशि बैंक में जमा नहीं करवाने पर उनके पद से हिमाचल पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 के अन्तर्गत निलम्बित किया गया था।

यह कि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने तथा मामले की पूर्ण स्थिति सामने लाने के लिए मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत जांच उप-सम्भागीय अधिकारी, नालागढ़ से करवाने पर यह तथ्य सामने आया है कि श्री हरि राम प्रधान, ग्राम पंचायत बारियां व... में ही राशि के छलहरण के दोषी पाए गए हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) (ख) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्री हरि राम प्रधान, ग्राम पंचायत बारियां, विकास खण्ड नालागढ़ को ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस देते हैं। क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए पद से हटा/पदच्युत किया जाए। उसका उत्तर इस नोटिस के जारी होने के 15 दिन के भीतर उपायुक्त, सोलन के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने हक में कुछ कहना नहीं चाहते तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव एवं निदेशक।

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 4 जुलाई, 1995

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-7/94.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 मई, 1995 को आंशिक रूप में संशोधित करके, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धाराओं 3(1) व (2) के अन्तर्गत प्राप्त हैं जिला हमीरपुर, विकास खण्ड नादौन के ग्राम (रकड़) को नवगठित ग्राम सभा "कोटला चिल्लियां" से अपवर्जित करके ग्राम सभा "भरमोटी खुर्द" में सम्मिलित करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/पुनः सीमांकन वर्तमान ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के अवसान तक प्रभावी नहीं होगा।

शिमला-2, 4 जुलाई, 1995

संख्या पी0 सी0 एच-0एच0 ए0(4)-6/94.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 मई, 1995 को आंशिक रूप में संशोधित करके, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धाराओं 3(1) व (2) के अन्तर्गत प्राप्त है, जिला मण्डी के विकास खण्ड गोपालपुर के ग्रामों क्रमशः दारवा, धरोह, डली तथा मुआनी को नवगठित ग्राम सभा "बकारटा" से अपवर्जित करके ग्राम सभा "रखोह" में सम्मिलित करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश यह भी आदेश प्रदान करते हैं कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन/पुनः सीमांकन वर्तमान ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के अवसान तक प्रभावी नहीं होगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 जुलाई, 1995

संख्या पी. सी. एच. एच. ए. (5) 55/93-1540-47.—क्योंकि उपायुक्त, चम्बा द्वारा श्री कपूर चन्द उप-प्रधान, ग्राम पंचायत चान्जु, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा की शिकायत पर श्री खेती राम प्रधान, ग्राम पंचायत चान्जु, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा को उनके कार्यालय आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-सी0 ए0-10-83/95-982-86, दिनांक 13-6-95 द्वारा निम्न आरोपों में संलिप्तता पाए जाने के फलस्वरूप निलम्बित कर दिया गया है :—

1. यह कि श्री खेती राम, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत चांजु ने श्री कपूर चन्द, उप-प्रधान को मानदेय की राशि की अदायगी आज तक नहीं की गई है जो कि स्पष्टतयः प्रधान पद का दुरुपयोग है।

2. यह कि प्रधान द्वारा उप-प्रधान को मासिक बैठकों में भाग न लेने देना व भाग लेने पर भी पंचायत कार्यवाही पुस्तक में उपस्थिती न लगाने देना, प्रधान पद के दुरुपयोग में संलिप्त पाए गए है।

3. यह कि प्रधान द्वारा श्री कपूर चन्द, उप-प्रधान से चरित्र प्रमाण-पत्र मांगा जिसके लिए प्रधान, ग्राम पंचायत की अधिनियम व नियम के अधीन कोई अधिकार नहीं है कि प्रधान, उप-प्रधान या किसी भी पंचायत के सदस्य से चरित्र प्रमाण-पत्र मांग कर प्रधान जैसे गरिमापूर्ण पद का दुरुपयोग किया।

और क्योंकि उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने व मामले के पूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने के लिये सरकार द्वारा नियमित जांच करवाने का जनहित में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये श्री खेती राम प्रधान, ग्राम पंचायत चांजु, विकास

खण्ड तीसा के विरुद्ध लगे आरोपों की संलिप्तता की वास्तविकता जानने हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना0), तीसा को जांच अधिकारी व जिला अंकेक्षण अधिकारी, चम्बा को प्रस्तुतिकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देत हैं। प्रस्तुतिकर्ता अधिकारी जहां यथा समय पंचायत का रिकार्ड जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे वहीं साथ-साथ जांच अधिकारी के समक्ष सरकार का पक्ष भी रखेंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित,
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी
हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 24 जुलाई, 1995

विषय :—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 77 के अधीन 'कारण बताओ नोटिस'।

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0-ए0(5) 92/94.—यत: खण्ड विकास अधिकारी, सुन्दरनगर ने इस कार्यालय को यह सूचित किया कि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कपाही द्वारा उन्हें यह सूचित किया कि श्री प्यार सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कपाही द्वारा पंचायत को धनराशि एवं खाद्यान विकास कार्यों हेतु खण्ड विकास कार्यालय सुन्दरनगर से प्राप्त करके हिसाब बार-बार मांगने पर भी नहीं किए। प्रधान, युवक मण्डल डोडर कपाही, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी ने भी प्रधान, ग्राम पंचायत कपाही के विरुद्ध एक प्रतिवेदन खण्ड विकास अधिकारी, सुन्दरनगर को डोडर पुली का निर्माण कार्य न करने बारे दिया।

और यह कि उक्त आरोपों की पुष्टि के लिए खण्ड विकास आधकारी, सुन्दरनगर द्वारा पंचायत निरीक्षक, सुन्दरनगर तथा कनिष्ठ अभियन्ता से पंचायत अभिलेख तथा निर्माण कार्यों का निरीक्षण करवाया जिसके अवलोकन से यह पाया गया कि प्रधान, ग्राम पंचायत कपाही द्वारा विकास कार्यों की राशि एवं खाद्यान्न सामग्री का दुरुपयोग किया है।

1. यह कि विकास खण्ड अधिकारी, सुन्दरनगर के कार्यालय पत्र संख्या 3277-81, दिनांक 22-7-93 के अनुसार 9.89 क्विंटल गन्दम मु0 3.30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कुल लागत 3263.70 रुपये तथा चावल 7.25 पैसे क्विंटल मु0 4.37 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कुल मु0 3168.25 रुपये, कुल मु0 6431.95 रुपये खाद्यान्न सामग्री प्राथमिक पाठशाला, कपाही के निर्माण हेतु दी गई थी, जिसका कोई भी हिसाब प्रधान पंचायत ने न देकर मु0 6431.95 रुपये की राशि का स्पष्ट दुरुपयोग किया है।

2. यह कि जवाहर रोजगार योजना निरीक्षण पत्र आपत्ति 26(5) अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, सुन्दरनगर के पत्र संख्या शुन्य, दिनांक 23-3-93 के अनुसार 7 क्विंटल गन्दम मु0 341.45 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल मु0 2390.85 रुपये तथा 5 क्विंटल चावल मु0 536.13 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल मु0 2680.65 रुपये कुल लागत मु0 5071.50 रुपये की खाद्यान सामग्री प्रधान, ग्राम पंचायत कपाही को विकास कार्यों हेतु दी गई है। इस राशि का कोई भी हिसाब प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत में न देकर मु0 5071.50 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है।

3. यह कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित विकास कार्य देरड़ पुली निर्माण पर वर्ष 1993-94 में 1778/- रुपये रोकड़ दर्ज था परन्तु मौका पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा

24-8-94 को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर मौका पर एक 6" लम्बा तथा 3" व्यास का आर0 सी0 सी0 पाईप नाले में रखा है जो कि स्थानीय जनता द्वारा स्वयं सुन्दरनगर कमेटी से लाया गया बताया गया । इस प्रकार इस मद पर मु0 1778/- रुपये का फर्जी व्यय डालकर राशि का प्रधान पंचायत द्वारा स्पष्ट अपहरण पाया गया है ।

4. यह कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित विकास कार्य डोडवा पली निर्माण पर वर्ष 1993-94 में 2832/- रुपये व्यय रोकड़ दर्ज थे जब कि कनिष्ट अभियन्ता द्वारा 24-8-94 को मूल्यांकन करने पर कुल लागत मु0 1659/- रुपये बनते है । इस प्रकार मु0 1173/- रुपये का फर्जी व्यय रोकड़ डाल कर प्रधान पंचायत द्वारा इस राशि का स्पष्ट अपहरण पाया गया है ।

5. और यह कि डोडर पुली निर्माण पर वर्ष 1993-94 में मु0 2633/- रुपये व वर्ष 1994-95 में मु0 5811/- रुपये कुल 8444/- रुपये का व्यय दर्शाया है जबकि मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है केवल मात्र पुराने ढह गये पुल का एक पाया ही मौजूद है जोकि आधा टूट चुका है । प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा मौका पर बताया गया कि इस कार्यालय हेतु एक ट्राली रेत तथा दो ट्राली बजरी कपाही सड़क पर फैंकी थी लेकिन मौके पर कोई भी सामान नहीं पाया गया । इस प्रकार इस मद पर मु0 8444/- रुपये का फर्जी व्यय डालकर राशि का स्पष्ट अपहरण किया गया प्रतीत होता है।

और यह कि श्री प्यार सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कपाही ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है तथा सरकारी धन के दुर्विनियोग/दुरुपयोग का प्रकटीकरण होता है । ऐसे व्यक्ति का प्रधान जैसे महत्वपुर्ण पद पर बने रहना जनहित में नहीं जान पड़ता ।

अत : मैं, तरूण श्रीधर (भा0प्र0से0), उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के के नियम 77 में निहित है, श्री प्यार सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कपाही, विकास खण्ड सुन्दरनगर को आदेश देता हूं कि वह कारण बताये, कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 145(2) के अन्तर्गत प्रधान पद से निलम्बित किया जाये । उन्हें यह भी आदेश देता हूं कि वह अपहरित राशि 18 प्रतिशत वाणिज्य दर ब्याज सहित ग्राम पंचायत कपाही के लेखा म 7 दिन के अन्दर-अन्दर जमा करवाये । उनका उत्तर कारण बताओ नोटिस क जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये, अन्यथा आगामी कायवाही प्रारम्भ कर दी जायगी ।

तरुण श्रीधर,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।